संख्या–पी–82 / 14–2–2016–800 (82) / 2016

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 01 ~~मई~~ जून **2016**

विषयः– जनपद सुल्तानपुर में एस्सार ऑयल लि0 वाराणसी द्वारा पेट्रोल / डीजल का एक रिटेल आउटलेट श्री अजय कुमार बरनवाल पुत्र श्री श्याम बिहारी बरनवाल निवासी ग्राम नरवहनपुर पोस्ट दुर्गापुर जिला अमेठी के डीलरशिप में प्रतापगढ़– सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–330 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–96) किमी0 78 (चैनेज 77.013 दांयी पटरी) खसरा प्लाट नं0 250''अ'' ग्राम पकड़ी तहसील सदर जनपद सुल्तानपुर में मार्ग की प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.1516 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–2320 / एफपी / यूपी–अदर्स / 15745 / 2015, दिनांक 05–5–2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सुल्तानपुर में एस्सार ऑयल लि0 वाराणसी द्वारा पेट्रोल / डीजल का एक रिटेल आउटलेट श्री अजय कुमार बरनवाल पुत्र श्री श्याम बिहारी बरनवाल निवासी ग्राम नरवहनपुर पोस्ट दुर्गापुर जिला अमेठी के डीलरशिप में प्रतापगढ़– सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–330 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–96) किमी0 78 (चैनेज 77.013 दांयी पटरी) खसरा प्लाट नं0 250''अ'' ग्राम पकड़ी तहसील सदर जनपद सुल्तानपुर में मार्ग की प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.1516 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या–पी–82(1) / 14–2–2016–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
3– जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
4– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सुल्तानपुर।
5– श्री अजय कुमार बरनवाल पुत्र श्री श्याम बिहारी बरनवाल निवासी ग्राम नरवहनपुर पोस्ट दुर्गापुर जिला अमेठी।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।